

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-03 फरवरी, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कामधेनु इकाईयों की स्थापना हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-05/प.-2/36(1)/कामधेनु/बजट/2022-23, दिनांक-04.01.2023 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-52/2022/831/सैंतीस-2-2022/001-1(10)/2014, दिनांक-06.06.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-18-कामधेनु इकाईयों की स्थापना हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना (रा.यो.)' के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹0-124.932 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तिरान्नेबे हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजनों के लिए हो, इसका पर्यवेक्षण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराते हुए विचलित धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से करें।
- (3) योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में सब्सिडी का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

- (7) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- (9) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (10) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,24,93,200 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001021800** कामधेनु इकाईयों की स्थापना हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना (राज्य योजना) **मानक मद 27** सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु०सं०-14/2023/82(1)/सैंतीस-2-2023/002-1(10)/2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।